न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,
प्र.शा0 सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 521–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–2–14 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, सर्कि नं. 1/2 तहसील विदिशा प्र0क0 5/अ–6/12–13.

---

वदनसिंह पुत्र श्री छोटेराम जाति मीणा
निवासी ग्राम अमोदा तहसील व
जिला विदिशा

——— आवेदक

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन

2– तोफान सिंह पुत्र रतनसिंह जाति मैना
निवासी ग्राम सेंडूखरी (सागर)
तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

3– बाबूलाल पुत्र श्री मंशाराम
निवासी ग्राम सेडूखेंडी (सायर)
तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

——— अनावेदकगण

---

श्री तुलसीराम मीणा,, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक 2
श्री बाबूलाल, स्वयं, अनावेदक कमांक 3

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 10/4/2014 को पारित )

.....

यह निगरानी नायब तहसीलदार, सर्किल नं. 1/2 तहसील विदिशा के प्रकरण कमांक 5/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 24–1–14 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में आवेदक के अनुसार इस प्रकार हैं कि प्रश्नाधीन भूमि में आवेदक के पिता का हिस्सा 1/4 था । पिता की मृत्यु के बाद आवेदक का

नामांतरण हुआ । अनावेदक क. 3 द्वारा छोरी छिपे पटवारी से मिलकर बटवारा कराकर प्रश्नाधीन भूमि को अनावेदक क. 2 को बेच दिया जिसके नामांतरण का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है । आवेदक द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आदेश 16 नियम 1 व 2 का तलब किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेशक विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है । आवेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है इसलिए उसकी साक्ष्य को तलब किया जाना आवश्यक है ।

4– अनावेदक कमांक 2 के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है, प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक/आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 16 नियम 2 सी.पी.सी. को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि जिस बटवारा प्रकरण का उल्लेख किया जा रहा है उस बटवारा प्रकरण के साक्षीगण इस relevant नहीं हैं और उन्होंने प्रकरण को अंतिम बहस हेतु नियत किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष उचित प्रतीत नहीं होता है अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे इस संबंध में बोलता हुआ आदेश पारित करते जो इस प्रकरण में नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक/आपत्तिकर्ता को अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक ओर अवसर देते हुए प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

( मनोज गोयल )
प्रशा0 सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर